खरीफ खरीद नीति 2017–18

संख्या / 17–XIX-2 / 36 खाद्य / 2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर / हरिद्वार / चम्पावत /
देहरादून / पौड़ी / नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून /
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक, मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 07 अक्टूबर, 2017

विषयः खरीफ खरीद सत्र 2017–18 में मूल्य समर्थन योजनान्तगर्त धान क्रय नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–8–2 / 2017–एस.एण्ड.–आई. दिनाँक 16.08.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1212 / आ0वि0शा0 / 2017–18 दिनांक 11.09.2017 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018 में प्रदेश के किसानों से जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किसान वार, ग्राम वार सूचियों के आधार पर दिनांक 01.10.2017 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार धान की खरीद की जायेगी। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 697 / 17–XIX-2 / 36 खाद्य / 2017, दिनाँक 16.08.2017 द्वारा जारी की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2 (1) धान का मूल्य एवं गुणनिर्दिष्टियाँ :–

खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–4(3) / 2016–पी0वाई0–I, दिनांक 20.06.2017 द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कामन	1550.00
श्रेणी "ए"	1590.00

2 (2) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के **पत्र संख्या–8–2 / 2017–एस.एण्ड.–आई. दिनाँक 16 अगस्त, 2017 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018** के लिये धान क्रय हेतु

निम्नवत् गुण–विनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की गयी है। धान ठोस, बिक्री योग्य, सूखी, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, आर्जिमोन मेक्सीकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी) एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण से मुक्त होगा। हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण या रंग कारकों से मुक्त होगा। धान का वर्गीकरण श्रेणी–''ए'' और साधारण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची :–

क्रम सं0	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत में)
1	विजातीय तत्व :–	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अकुंरित और घुने हुये दानें	5.0*
3	अपरिपक्व, सिकुड़े और कुम्हलाये हुये दानें	3.0
4	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण	6.0
5	नमी तत्व	17.0

*क्षतिग्रस्त, अकुंरित और घुने हुये दाने 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

टिप्पणीः–

1–उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की ''खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि'' संख्या आई0एस0–4333(भाग–1)1996,आई0एस0–4333 भाग(2),2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आई0एस0–2813–1995 में दी गई विधि के अनुसार किया जायेगा।

2–नमूना लेने की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की ''अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि'' संख्या आईएस0 14818–2000 के अनुसार किया जायेगा।

3–कार्बनिक विजातीय तत्वों के लिये 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर रहते हुये विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नही होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (विसिया प्रजातियां) क्रमशः 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नही होंगे।

3–धान का क्रय :–

3(1)– राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के क्रय की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं हेतु 80,000 मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3(2)–शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में धान की खरीद जोत बही, खाता नम्बरयुक्त कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटो युक्त पहचान प्रमाण

पत्र और यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों का धान नामित संस्थाओं द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रों पर क्रय किया जायेगा। राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों द्वारा उत्पादित धान की संगणना एवं विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) धान की मात्रा के सम्बन्ध में किसानवार, ग्रामवार सूची जिसमें किसान द्वारा बोये गये धान का क्षेत्रफल, उत्पादित सम्भावित धान की मात्रा, सम्भावित विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) आदि का अंकन करते हुए सूचियाँ तैयार की जायेंगी। इन सूचियों के आधार पर ही क्रय केन्द्र पर पंजीकृत किसान से धान का क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में **शासनादेश संख्या–698/17–XIX–2/36 खाद्य/2017 दिनाँक 16–08–2017** द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3(3)–जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने धान का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित की जायेगी। केन्द्र प्रभारी के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ग्रामवार सूचियों व पंजीकृत किसानों की सूची में किसान का नाम तथा उसके पास विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा का सत्यापन कर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को क्रय केन्द्र पर धान विक्रय हेतु लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित की गयी तिथि को भारत सरकार की गुण विर्निदिष्टियों के अनुरूप धान लाने पर किसान का धान क्रय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन दृष्टिगोचर होता है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाये कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

3(4)–सामान्यतः एक दिन में एक काँटे पर 500 कुन्तल से अधिक धान की तौलाई सम्भव नहीं हो पाती है, इसलिए क्रय संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इनके संचालन एवम् पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात हो।

3(5)– खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 मे क्रय ऐजेन्सियों द्वारा वर्तमान में विकसित किये गये ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन धान खरीद की प्रकिया को अनिवार्य रूप से अपनाया जायेगा इस निमित राजस्व विभाग के सहयोग से तैयार कृषकों के डाटाबेस का उपयोग किया जा सकेगा। क्रय संस्थाओ द्वारा अपने संसाधनों से कम्प्यूटर/लैपटॉप/आईपैड, इन्टरनेट कनैक्शन व अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें स्वयं सम्पन्न की जायेंगी।

खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में ऑनलाईन खरीद के साथ–साथ ऑफलाईन खरीद की व्यवस्था भी रखी जायेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से ऑनलाईन धान की खरीद सम्भव नहीं हो पाती है तो क्रय केन्द्रों पर धान क्रय का कार्य नहीं रोका जायेगा एवं ऑफलाईन खरीद करते हुए अगले कार्यदिवस में ऑनलाईन फीडिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

यदि क्रय ऐजेन्सियों के क्रय क्रेन्द्रों पर विकसित सॉफ्टवेयर में ई–खरीद हेतु आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे जिला प्रशासन के सहयोग से तहसील/ब्लॉक कार्यालयों में की गयी धान खरीद की ऑनलाईन फीडिंग करायेंगे।?

3(6)– राज्य के प्रत्येक कृषक का क्रय ऐजेन्सी में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो, ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी, ताकि प्रत्येक कृषक का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में बिना पंजीकरण कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा अपितु कृषक को मौके पर राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम वार किसानवार सूची के आधार पर ही पंजीकरण कर लिया जायेगा तथा किसान से उसके बैंक सम्बन्धी जानकारी भी मौके पर ही प्राप्त की जायेगी।

4– <u>धान क्रय एजेंसियों एवं क्रय–केन्द्रों का निर्धारण</u> :–

4(1)– खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में क्रय–केन्द्रों पर कृषकों का धान क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्रय संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है तथा इन संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों की संख्या तथा धान क्रय का लक्ष्य निम्नवत होगा :–

क सं	क्रय संस्था	केन्द्रो की संख्या		योग	क्रय की जाने वाली धान की मात्रा (मी0टन)		योग
		गढवाल	कुमॉयू		गढवाल	कुमॉयू	
1	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	05	12	17	1,000	24,000	**25,000**
2	सहकारिता विभाग (यू0 सी0 एम0 एफ0)	06	74	80	5,000	50,000	**55,000**
कुल योग		**11**	**86**	**97**	**6,000**	**74,000**	**80,000**

सम्बन्धित क्रय संस्था खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या को मण्डियों में धान की आवक के आधार पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के आदेशानुसार बढ़ा/घटा सकते है तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य क्रय एजेंसी को भी गेहूँ खरीद हेतु नामित किया जा सकेगा।

4(2)–यदि क्रय–केन्द्रों पर धान की आवक ज्यादा होती है तो कृषकों की सुविधा हेतु धान तौलने के लिए क्रय–केन्द्रों पर एक से अधिक काँटे/बाट के सैट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित उपसम्भागीय विपणन अधिकारी एवं जिला खरीद अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

4(3)–कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड, जिसका दायित्व कृषकों को उनकी उपज का उचित एवम् लाभकारी मूल्य दिलाना है, द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में क्रय संस्थाओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा सरकारी क्रय–केन्द्रों पर धान विक्रय के निमित्त व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जायेगा। विगत वर्ष की धान खरीद को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष धान क्रय केन्द्रों की संख्या उपरोक्तानुसार **97** रहेगी, तथा मण्डी समितियों द्वारा क्रय–केन्द्रों की संख्या के आधार पर आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी।

4(4)–यदि स्थानीय स्तर पर क्रय–केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो सम्बन्धित क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारी जिलाधिकारी के

अनुमोदन उपरान्त मण्डी परिसर में क्रय–केन्द्र स्थापित कर धान क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें ।

4(5)–माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्रय–केन्द्रों की स्थापना यथासम्भव तीन किमी0 से अधिक दूरी पर नहीं की जायेगी, ताकि उससे सम्बद्ध गाँव के किसान कम से कम दूरी तय करके सुगमता से अपना धान विक्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर ला सकें। साथ ही क्रय किये गये धान को क्रय केन्द्र पर यदि कुछ समय के लिए अस्थाई संग्रह करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो इसकी सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। क्रय–केन्द्रों तक वाहनों के आने जाने का सम्पर्क मार्ग भी ठीक होना चाहिए ।

4(6)–क्रय–केन्द्रों के चयन में सार्वजनिक स्थानों, जैसे सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी स्थल, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवं सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे स्थानों की अनुपलब्धता अथवा उचित स्थान न मिलने पर ही प्राइवेट स्थानों का चयन किया जायेगा। विगत वर्ष खोले गये क्रय–केन्द्रों पर यदि धान क्रय का कार्य निर्विवाद एवं सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो बिना किसी ठोस आधार के क्रय–केन्द्रों का स्थान परिवर्तन न किया जाय तथा किसी भी दशा में चावल मिल परिसर अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान में क्रय केन्द्र न खोले जायें।

4(7)–क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय केन्द्रों का संचालन दिनाँक **01–10–2017** से दिनाँक **28–02–2018** तक किया जायेगा। दीपावली, ईदउल जुहा, 25 दिसम्बर, एवम् गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में धान क्रय–केन्द्रों पर धान का क्रय नहीं किया जायेगा ।

4(8)– धान के मूल्य का भुगतान उसी किसान के नाम **आर0टी0जी0एस0/एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा, जिसके नाम किसान बही है अथवा जिस नाम से कृषक पंजीकृत है।**

4(9)–क्रय–केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का धान ही क्रय किया जायेगा। क्रय–केन्द्र पर कृषकों के वाहन से धान की उतराई तथा छनाई/सफाई का व्यय भार सम्बन्धित किसान द्वारा वहन किया जायेगा। इस कार्य में व्यय होने वाली प्रति कुन्तल दरें मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर बोर्ड/नोटिस लगाकर प्रदर्शित की जायेगी ।

4(10)–मण्डी समिति कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों की जाँच सुनिश्चित करने उपरान्त धान की ग्रेडिंग और सार्टिंग करायेगी। निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर धान की लाट पर F.A.Q. की तख्ती प्रदर्शित की जायेगी। तदोपरान्त आढ़तियों, कृषकों एवं क्रय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष उक्त लाट की नीलामी की जायेगी। यदि नीलामी में समर्थन मूल्य से कम मूल्य आता है तो सम्बधित सरकारी क्रय एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर धान क्रय की कार्यवाही की जायेगी ।

4(11)–सर्वप्रथम किसानों द्वारा विक्रय हेतु क्रय–केन्द्र पर लाये गये धान की नमी की जाँच सम्बन्धित क्रय संस्था के केन्द्र प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि **लाये गये धान में** नमी का प्रतिशत एवं विजातीय तत्व अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाते हैं तो केन्द्र पर ही उसे सुखाने तथा पंखा एवं छन्ने से उसकी सफाई कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद/मण्डी समिति द्वारा की जायेगी। यदि सुखाने एवं सफाई कराने उपरान्त धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है तो उसकी तौल कराकर कृषक को धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0/एकांउण्ट पेई चैक के माध्यम से कर दिया जायेगा।

4(12)–भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न होने वाले धान की मात्रा का क्रय किसी भी दशा में क्रय केन्द्रों पर नहीं किया जायेगा ।

4(13)–बिचौलियों के शोषण से कृषकों को बचाने के लिए **उत्तराखण्ड के पंजीकृत कृषक तथा जिनकी ग्रामवार सूची जिला प्रशासन द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी है** के आधार पर धान की खरीद की जायेगी। धान खरीद हेतु प्रथम आवक प्रथम खरीद के सिद्वान्त को लागू रखने के लिए टोकन पद्वति अपनायी जायेगी। इस निमित्त क्रय केन्द्र पर एक पंजिका भी अनुरक्षित की जायेगी, जिसमें केन्द्र पर धान लाने वाले कृषक का क्रमांक उसका नाम तथा तिथि अंकित की जायेगी। पंजिका में अंकित क्रमांक के अनुसार ही कृषक को टोकन निर्गत किया जायेगा एवं इसी क्रम में धान की तौलाई सुनिश्चित की जायेगी।

4(14)–कृषकों को अपनी उपज का धान सरकारी क्रय–केन्द्रो पर विक्रय हेतु लाने के लिये प्रेरित किया जाये तथा अन्य विक्रय को हतोत्साहित किया जाये, ताकि कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अनुमन्य हो सके। राज्य मण्डी परिषद् द्वारा नोडल संस्था के रूप में कार्य करते हुए मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था की जायेगी। यदि कोई लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी मण्डी में धान क्रय नही करता है तो मण्डी समिति द्वारा उसके लाईसेन्स को निरस्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। नीलामी के समय संबधित क्रय संस्था के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें, यदि सरकारी क्रय संस्था की ओर से समर्थन मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से नीलामी में भाग नही लिया जाता है तो फर्द नीलामी में सम्बन्धित क्रय संस्था के प्रतिनिधि द्वारा भाग न लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। फर्द नीलामी पर मण्डी समिति के कर्मचारियों के अतिरिक्त कृषकों एवम् व्यापारियों के भी हस्ताक्षर कराये जायेगें तदनुसार सरकारी क्रय संस्था के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी ।

4(15)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा प्रस्तर–4(1) में अंकित लक्ष्य के अनुसार अपने सम्भाग में संस्थावार/केन्द्रवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा तथा क्रय धान की कुटाई पंजीकृत मिलों से उनकी कुटाई क्षमता एवम् साख के आधार पर सुनिश्चित करायी जायेगी ।

5– <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :–

जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान के आवक की स्थिति का आंकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों का अनुमोदन करेंगे। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि क्रय–केन्द्र प्रातः 9.00 बजे से सांयकाल 5.30 तक खुले रहें। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी क्रय–केन्द्र खोलने हेतु जिलाधिकारी ही निर्णय लेगें। जनपद में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा जो क्रय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धान क्रय के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

उपसम्भागीय विपणन अधिकारी अपने जनपद में खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में क्रय–केन्द्रों की स्थापना हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

कराकर क्रय–केन्द्रों की सूची प्राप्त कर जिलाधिकारी से अनुमोदन तथा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु स्थानीय परिवहन दरों के निर्धारण कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायेगें ।

6– <u>मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें</u> :–

प्रदेश में खोले जाने वाले प्रत्येक धान क्रय–केन्द्र पर मण्डी समितियों द्वारा किसानों की सुख सुविधा के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी :–

1 कृषकों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था।
2 पशुओं के लिये पानी, नाद, बैलगाडी, ट्रैक्टर ट्राली हेतु पार्किंग स्थल आदि।
3 कृषकों के बैठने के लिये शामियाना, तख्त, दरी, कुर्सी आदि।
4 पर्याप्त मात्रा में पंखों/छन्नों आदि की व्यवस्था।
5 धान की नमी की जॉच हेतु इलेक्ट्रानिक नमी मापक यंत्र।
6 वाटर मैन की व्यवस्था ।
7 विनोईंग फेन।
8 ड्रायर।
9 इलैक्ट्रोनिक कांटा।
10 रोशनी की उचित व्यवस्था।

यदि किसी क्रय–केन्द्र पर मण्डी समिति द्वारा उक्त सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो क्रय संस्था की ओर से यह व्यवस्था स्वयं ही सुनिश्चित की जायेगी। इस पर होने वाले व्यय का समायोजन क्रय संस्था द्वारा मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क से सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर नपी मापक यंत्र मण्डी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

7–<u>क्रय–केन्द्रों के लिये भूमि का किराया</u> :–

क्रय केन्द्र के लिये भूमि का किराया क्रय संस्था को अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों से ही वहन करना होगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक व्यय के रूप में अलग से नही की जायेगी। एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी भूमि के किराये की अधिकतम दर प्रतिवर्ग फिट के आधार पर निर्धारित करेगें, जो समस्त क्रय संस्थाओं के लिए अनुमन्य होंगी।

8–<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :–

समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले कॉंटे–बाट का सत्यापन, समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त क्रय संस्थायें इस बात का विशेष ध्यान रखेगीं कि धान क्रय में सत्यापित एवम् मुद्राकिंत कॉंटे–बाट का ही प्रयोग हो और सही तौलाई हो ।

9–<u>धान के संग्रह हेतु क्रय–केन्द्र पर क्रेट्स एवं त्रिपाल की व्यवस्था</u> :–

क्रय किये गये तथा विक्रय के लिये लाये गये धान को असामयिक वर्षा से बचाने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 20 क्रेटस तथा 02 त्रिपाल की व्यवस्था समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा स्वयं की जायेगी। यदि केन्द्र पर क्रेटस उपलब्ध न हो तो नीचे पुवाल डालकर उसके ऊपर लकडी की बल्लियाँ बिछाकर धान के बोरे संग्रहीत किये जायें, ताकि धान को जमीन की सीलन आदि से कोई क्षति न हो। क्रय–केन्द्र पर धान को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने हेतु क्रय संस्थायें स्वयं जिम्मेदार होंगी ।

10–क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था :–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सहकारिता विभाग के लिये नये बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान क्रय के लिये सहकारिता विभाग द्वारा बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता संबधित उपसम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे उपसम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर संभागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं को बोरों की पूर्ति के लिये संभागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होंगे। धान क्रय के लिये सहकारिता विभाग को प्रथम बार बोरे उधार के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आगामी माहों में बोरों की व्यवस्था पूर्व में उपलब्ध कराए गये बोरों का भुगतान प्राप्त होने उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी। क्रय ऐजेन्सियों द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों पर सर्वप्रथम विभाग के पास एक बार प्रयोग में लाये गये बोरे अथवा उपलब्ध सेवा योग्य बोरे ही धान क्रय हेतु प्रयोग में लाये जायेगें, परन्तु इससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल (Custom Milled Rice) अनिवार्यतः नये बोरों में प्राप्त किया जायेगा तथा धान हेतु उपलब्ध कराये गये सेवा योग्य बोरे विभाग द्वारा चावल मिलर से वापस प्राप्त कर लिये जायेंगे। **यदि क्रय ऐजेन्सियों द्वारा एक बार प्रयुक्त अथवा सेवा योग्य बोरों में धान का क्रय किया जाता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को दी जायेगी एंव इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा कॉस्टशीट में अनुमन्य यूजेज चार्जेज का भुगतान किया जायेगा।**

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग विभाग के पास संग्रहित नये बोरे धान खरीद हेतु धान क्रय केन्द्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु नये बोरों का क्रय पटसन आयुक्त कोलकाता से ऑनलाईन किया जाना है। धान क्रय हेतु बोरों की कमी होने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा अपने–अपने सम्भागों में चावल मिलर्स से उधार आधार पर बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जो कि कोलकाता से बोरे प्राप्त होने पर चावल मिलर्स को वापस कर दिये जायेंगे।

यदि कस्टम मिल्ड चावल की स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान के समय बोरे अधोमानक पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा इसके मूल्य की प्रतिपूर्ति उपरोक्तानुसार स्वीकृत दरों पर सम्बन्धित चावल मिलर/क्रय ऐजेन्सियों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत विपत्रों अथवा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में विभाग के पक्ष में चावल मिलर द्वारा बन्धक प्रतिभूति से कर ली जायेगी। साथ ही प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिक के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

11–मानक नमूने का प्रदर्शन :–

धान का किस्मवार नमूना सील करके क्रय–केन्द्र पर सुरक्षित रखा जायेगा जिसको निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर तैयार किया जायेगा और उसे कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अवश्य प्रदर्शित कराया जायेगा।

12–धान के मूल्य का भुगतानः–

12(1)– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो के संचालन एवं कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैक से कैश क्रेडिट लिमिट आवश्यकता अनुरूप प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों की मॉग पर उन्हे

आवटिंत की जायेगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों को उनकी मॉग के अनुरूप धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

12(2)–कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान तत्परता से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा किन्तु जिन क्रय केन्द्रों पर आर0टी0जी0एस0 की सुविधा नहीं होगी वहां पर एकाउंट पेई चैक के माध्यम से कृषकों को क्रय धान का भुगतान किया जा सकेगा। चैक से भुगतान करने की स्थिति में क्रय ऐजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा कि कृषक का खाता जिस बैक में है, उसमें सी0बी0एस0 की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं।

क्रय–केन्द्रों को किसी एक शैडयूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैक से संबद्ध करके क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा "राज्य पैडी परचेज एकांउट" के नाम से चालू खाता खोला जायेगा। खाद्य विभाग के क्रय–केन्द्र प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम अंकन रू0 2,00,000–00 (रूपये दो लाख मात्र) तक धान के मूल्य का भुगतान तथा रू0 2,00,000–00 से अधिक धान के मूल्य का भुगतान वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी/सहायक संभागीय वित्त अधिकारी द्वारा आर0टी0जी0एस0 /एकांउट पेई चैक के माध्यम से प्रचलित प्रणाली के अर्न्तगत किया जायेगा ।

13–<u>धान खरीद केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

धान क्रय केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संरक्षित रखे जायेंगे :–

(01) किसान पंजीकरण पंजिका।
(02) किसान परिचय पर्ची/टोकन। **(03)** धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(04) क्रय तक–पट्टी । **(05)** क्रय पंजिका ।
(06) बोरा रजिस्टर । **(07)** स्टाक रजिस्टर ।
(08) बिल बुक । **(09)** निर्गत चेकों का विवरण पत्र ।
(10) टी0डी0स्लिप । **(11)** बैंक लेखा पंजी ।
(12) निरीक्षण पंजिका । **(13)** शिकायत पंजिका ।
(14) क्रय किये धान का निस्तारण **(15)** हैण्डलिगं ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण ।
(16) परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण
(17) रिजैक्शन पंजिका । **(18)** मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका।

14–<u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं</u> :–

14(1) क्रय केन्द्रो पर क्रय किये गये धान को प्रति बोरा 40 कि0ग्रा0 की दर से उल्टे बोरों में भरकर 12 टाँको से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, क्रय संस्था का नाम, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय का वजन, हैण्डलिगं ठेकेदारों द्वारा चटक रंग से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो।

14(2) उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर क्रय संस्था द्वारा विभागीय हैण्डलिगं ठेकेदार के बिलों से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ सुनिश्चित की जायेगी :–

(अ)– खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर **75 पैसे** प्रति एस0बी0टी0

(ब)– स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 **1.00 प्रति** एस0बी0टी0 ।

15–स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0.III दिनॉक 27–04–2017 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग की जायेगी :–

1-Stencil or Branding as per indentors requirments shall be in " BLUE" colour.
2-Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "BLUE" colour.

16–प्रचार प्रसार :–

मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय की व्यवस्था तथा क्रय–केन्द्रों की स्थापना के सबंध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मण्डी समिति, क्रय संस्थाओं द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रचार–प्रसार माध्यमों से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि कृषकों को सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

17–धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा :–

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवम् धान के आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।

17(1)– संभागीय स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

17(2)– खाद्यायुक्त कार्यालय में धान खरीद एवम् कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय (टेलीफोन/फैक्स संख्या 0135–2740778 तथा ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com द्वारा किया जायेगा तथा प्रतिदिन धान खरीद/निर्मित कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/**सचिव**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक मंगलवार को प्रस्तुत की जायेगी ।

18–<u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान का निस्तारण विगत वर्षो की भाँति दो विकल्पों के आधार पर किया जा सकेगा :–

18(1)– क्रय किये गये धान को धान के रूप में ही राज्य की किसी चावल मिल को विक्रय किया जा सकता है।

अथवा

18(2)– क्रय संस्थायें क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर चावल निर्मित करायेगें। धान से निर्मित चावल का सम्प्रदान स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल योजना में भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा, किन्तु स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में यदि प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी/भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बन्धित क्रय संस्था निर्मित चावल का वाणिज्यक विक्रय कर निस्तारित करेगी।

18(3)– क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनॉक 01–10–2017 से क्रय–केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान दिनॉक **30–06–2018** तक विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

18(4)– खरीफ खरीद सत्र 2017–18 में क्रय संस्थाओं द्वारा ही अपने क्रय केन्द्रों पर क्रीत धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी। जिस क्रय ऐजेन्सी द्वारा धान का क्रय किया जायेगा उसी ऐजेन्सी द्वारा अपने स्तर से चयनित मिलों से इसकी कुटाई कराकर निर्मित सी0एम0आर0 का उदग्रहण भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

19–<u>धान की कस्टम मिलिंग हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्व</u> :–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान की नियमित जाँच तथा चावल मिलों को कुटाई हेतु दिये गये राजकीय धान की मात्रा का सत्यापन एवम् इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित क्रय संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा । सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन चावल मिलों को संस्थाओं द्वारा धान कुटाई हेतु दिया गया है वह धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सी का होगा।

20–<u>क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई (कस्टम हलिंग)</u> :–

क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत विभिन्न केन्द्रों पर क्रय धान की कुटाई क्रय केन्द्र के निकटतम स्थापित ऐसी चावल मिलों, जो कि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पजीकृत होगीं,से करायी जायेगी ।

20(1)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई कराने हेतु सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सहकारिता विभाग क्रय केन्द्रों अथवा निमित्त केन्द्रों पर स्थापित चावल मिलों की

कुटाई क्षमता एवं उनकी साख के आधार पर क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

20(2)– धान की कुटाई के लिए संबधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सहकारिता विभाग द्वारा धान क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे। चावल मिलों से धान की कुटाई कराने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक चावल मिल मालिकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कुटाई क्षमता के अनुसार ऑफर प्राप्त किये जायेंगे ।

20(3)– धान की कुटाई का कार्य चयनित चावल मिल की कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर कराया जायेगा। जिस चयनित चावल मिल से राजकीय धान की कुटाई कराई जायेगी, उस चावल मिल द्वारा राजकीय धान प्राप्ति के अधिकतम् 15 दिन के भीतर उस धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान किया जायेगा।

जिन क्रय केन्द्रों पर धान का क्रय उस केन्द्र हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाता है तों ऐसी स्थिति में लक्ष्य से अधिक क्रय किये धान को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा उस केन्द्र से निकटतम केन्द्र पर स्थापित चावल मिलों को कुटाई हेतु दूरी के आधार पर आवटिंत कर दिया जायेगा ।

20(4)– जिन चावल मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व आपराधिक/ विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल संचालित की जा रही है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है तथा जिन चावल मिलों में पर्याप्त क्षमता का विद्युत संयोजन नहीं है ऐसी मिल/मालिकों/भागीदारों/निदेशकों को कस्टम हलिगं हेतु कदापि चयनित नही किया जायेगा ।

20(5)–किराये पर चलाई जा रही चावल मिलों को चावल मिल के मूल मालिक एवम् दो अन्य प्रतिष्ठित चावल मिलों की गारन्टी उपलब्ध कराने पर ही धान कुटाई हेतु दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति भी प्राप्त की जानी आवश्यक होगी ।

20(6)– सम्बन्धित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु नियुक्त चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर एक अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह क्रय संस्था को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता के आधार पर प्रति टन 2.00 लाख रूपये तथा पट्टे/किराये पर संचालित की जा रही चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता प्रति टन 3.00 लाख रूपये अथवा **अधिकतम** 15.00 लाख रूपये की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्बन्धित विभाग के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी ।

20(7)– धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन क्रय केन्दों से स्टेट पूल के अन्तर्गत डिलीवरी डिपो से मिल की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी 25 से 30 प्रतिशत तक की क्षमता के अनुरूप ही कुटाई हेतु धान उपलब्ध कराया जायेगा ।

20(8)– कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिए 67 प्रतिशत तथा सेला के 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

20(9)– राजकीय धान की कुटाई के लिए चयनित चावल मिल द्वारा राज्य सरकार के धान की कुटाई तथा अपने मिल एकाउन्ट के धान की कुटाई से सबंधित अभिलेख अलग–अलग रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्रय–केन्द्रो पर खरीदे गये धान और उससे बनाये गये चावल से संबंधित अभिलेख भी अलग–अलग रखे जायेंगे ।

20(10)– क्रय ऐजेन्सियों द्वारा दैनिक धान खरीद के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल आफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल आफिसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) के अर्न्तगत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक धान खरीद के ऑकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष,खाद्य आयुक्त कार्यालय एवम् भारतीय खाद्य निगम को OPMS में प्रविष्टि हेतु नियमित दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।

इसके अतिरिक्त क्रय धान की कुटाई से सबंधित सूचना भी निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन फैक्स व ई–मेल के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य नियत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। सहकारिता विभाग के मुख्यालय से भी प्रतिदिन दोनों सम्भागों की जनपदवार धान क्रय की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

20(11)– यदि किसी केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान को गुणवत्ता के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणो से चयनित चावल मिलर द्वारा कुटाई हेतु अस्वीकार किया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी की रिपोर्ट पर सम्बन्धित जनपद के उपसम्भागीय विपणन अधिकारी/सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा मौके पर जाकर क्रय धान की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जायेगा। यदि संयुक्त विश्लेषण उपरान्त क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो प्रस्तर–18 के अनुसार क्रय धान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और दोषी कार्मिकों के विरूद्व भी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, किन्तु संयुक्त विश्लेषण में यदि क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी जाती है तो सम्बन्धित मिलर कय धान की कुटाई करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मिलर के विरूद्व नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी ।

20(12)– भारत सरकार के आदेशानुसार चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसलवर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

21–<u>धान की कुटाई (कस्टम हलिंग) से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में सी0एम0आर0 चावल की मात्रा विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत की जायेगी। स्टेटपूल गोदामों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल का संग्रहण करने से पूर्व इसका संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धित भण्डारण ऐजेन्सी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्टेटपूल गोदाम में कस्टम मिल्ड चावल संग्रहीत होने उपरान्त इसकी गुणवत्ता एवम् संग्रहीत स्टाक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सी क्रमशः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण का होगा। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल कॉमन एवम् ग्रेड–ए का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा ।

राज्य में स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का चावल संग्रहीत किया जायेगा, वहॉ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो चावल की मात्रा एवम् उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त चावल का स्टाक प्राप्त कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/अन्त्योदय अन्न योजना/Tide Over Allocation के आवंटन के अनुरूप निर्गत करेगा। इस निमित्त किसी अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा वर्तमान में कार्यरत स्टॉफ से ही कार्य लिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक की तैनाती क्रय–केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी की होगी उसे कदापि स्टेटपूल डिपो पर तैनात नहीं किया जायेगा।

21(1)– <u>खरीफ–खरीद वर्ष 2017–18 हेतु चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ</u> :–

खरीफ–खरीद वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार के **पत्र संख्या–8–2/2017–एस. एण्ड.–आई. दिनाँक 16 अगस्त, 2017 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018** द्वारा चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं, जो निम्नवत है :–

(विपणन सत्र 2017–18)

चावल ठोस, बिक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्व, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूँदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण किसी भी रूप में आर्जिमोन मैक्सीकाना और किसी रूप में लैथिरिस सैटिवस (खेसरी) अथवा रंजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूचियों में दी गयी सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा:–

<u>विनिर्दिष्टियों की अनुसूची</u>

क्र0सं0	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	
	टोटा *	**ग्रेड–ए**	**सामान्य**
1	अरवा	25.0	25.0
	सेला/एकल सेला	16.0	16.0
2	विजातीय तत्व **		
	अरवा/सेला/एकल सेला	0.5	0.5
3	**क्षतिग्रस्त #/मामूली क्षतिग्रस्त दानें**		
	अरवा	3.0	3.0
	सेला/एकल सेला	4.0	4.0
4	**बदरंग दानें**		
	अरवा	3.0	3.0
	सेला/एकल सेला	5.0	5.0
5	**चाकी दानें**		
	अरवा	5.0	5.0
6	**लाल दानें** :– अरवा/सेला/एकल सेला	3.0	3.0
7	**निम्नश्रेणी का सम्मिश्रण** :– अरवा/सेला/एकल सेला	6.0	--
8	**चोकर सहित दानें** :– अरवा/सेला/एकल सेला	13.0	13.0
9	**नमी तत्व** :– अरवा/सेला/एकल सेला	14.0	14.0

* 1 प्रतिशत छोटे टोटे सहित।

** भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीव–जनित अशुद्धियॉ 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित।

@ Rice (both Raw &Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture upto a maximum limit of 15 % with value cut. There will be no value cut upto 14 % . Between 14 % to 15 % moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण भारतीय मानक ब्यूरो की समय–समय पर यथासंशोधित "**खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि** "संख्या–आई0एस0– 4333 (भाग–1)–1996 और आई0एस0–4333 (भाग–2) 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली– 2813–1995 में किये गये उल्लेख के अनुसार किया जाना है। चोकरयुक्त दाने साबुत अथवा टूटे चावल के वे दाने होते हैं, जिनके सतही क्षेत्र का एक–चौथाई से अधिक चोकर से ढका होता है और इनका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

विश्लेषण प्रक्रिया :–

(1) पैट्री डिश (80 X 70 मि0मी0) में 05 ग्राम चावल (साबूत चावल और टोटा) लें। मैथीलिन के नीले धोल में (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) के लगभग 20 मिली0 में इन दानों को डुबायें और लगभग एक मिनट तक रहने दें। मैथीलिन के नीले घोल को निथारकर निकाल दें। लगभग 20 मिली0 तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल (आसवित जल में आयतन द्वारा 5 प्रतिशत का घोल) के साथ घुमाकर धोयें। पानी में घुमाकर धोंये और नीले रंजित दानों पर लगभग 20 मिली0 मैटानिल के येलो घोल (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) को डालें और लगभग 1 मिनट रहने दें। एफल्यूएंट को निथारकर निकाल दें और 2 बार ताजे पानी से धोएं। रंजित दानों को ताजे पानी में रखें और चोकरयुक्त दानों की गणना करें। विश्लेषण किए जा रहे नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या गिनें। 3 टूटे दानों की गणना एक साबुत दाने के रूप में की जाती है।

गणना :–

$$\text{चोकरयुक्त दानों का प्रतिशत} = \frac{\text{एन X 100}}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहाँ एन = नमूने के 05 ग्राम के चोकरयुक्त दानों की संख्या,

डब्ल्यू = नमूने के 05 ग्राम में दानों की कुल संख्यां।

(2)– नमूने लेने की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों का नमूना लेने की विधि" संख्या–आई0एस0–14818–2000 में दी गयी विधि के अनुसार किया जायेगा।

(3)– पूरे साबुत दाने के आकार के 8 वें हिस्से से छोटा टोटा कार्बनिक विजातीय तत्व के रूप में समझा जायेगा। टोटे की औसत लम्बाई के आकार का निर्धारण करने के लिये चावल के मूल श्रेणी की लम्बाई को हिसाब में लिया जायेगा।

(4)– चावल की किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि वह अधिक हो, तो स्टॉक को साफ किया जायेगा और उसे सीमा के अन्दर लाया लायेगा। चावल की सतह पर मिट्टी लगे दानों या दानों के टुकडों को अकार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा।

(5)– दबाव अघोषणा तकनीक से तैयार किये गये सेला चावल की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अघोषण करने की सही प्रक्रिया अपनायी गयी है अर्थात प्रेषण करने से पूर्व डाला गया दबाव, समय जब तक दबाव डाला गया है, समुचित संश्लेषण वातन और शुष्कन इतना पर्याप्त हो, जिससे कि सेला चावल का रंग और पकाने का समय अच्छा हो और दानों की पपड़ी से मुक्त हो।

22–<u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

22(1)–क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का 08 किमी0 तक सम्प्रदान **कराने का दायित्व** सम्बन्धित चावल मिलर **द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा** इस हेतु चावल मिलर को परिवहन दरों का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद 2017–2018 हेतु निर्धारित कुटाई/परिवहन दरों के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा । 08 किमी0 से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित स्थानीय परिवहन दरें तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, चावल मिलर्स को अनुमन्य होगी ।

चावल मिल से स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक सी0एम0आर0 का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर **सुनिश्चित कराया** जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेट पूल संग्रह डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी। सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा डिपोवार मूवमेन्ट प्लान जारी किया जायेगा ।

23– <u>हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवम् उनके पारिश्रमिक का भुगतान</u> :–

धान क्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सी द्वारा ई–टेण्डर के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी तथा हैण्डलिंग ठेकेदारों को हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2017–18 हेतु जारी कॉस्टशीट के अनुसार भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त भारत सरकार की कॉस्टशीट की दरें अधिकतम होंगी।

24– <u>धान के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था</u> :–

खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018 में धान क्रय–केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सियों द्वारा तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिल को धान कुटाई हेतु दिया जायेगा उसी मिल द्वारा/कस्टम मिल्ड चावल का संचरण भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

25– <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवम् अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवम् अन्य मदों हेतु व्यवस्था</u> :–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर खरीफ–खरीद सत्र 2017–2018 में धान क्रय की व्यवस्था हेतु योजना का प्रचार प्रसार, क्रय कार्य हेतु स्टेशनरी, निरीक्षण हेतु किराये पर वाहन, पी0ओ0एल0, हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यय, बोरा क्रय, वर्षा से बचाव हेतु तिरपाल एवं क्रेटस आदि की

व्यवस्था, बोरों की सिलाई हेतु मशीन तथा क्रय खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि व्यय अनुमन्य होगा।

धान एवं गेंहूँ का कय मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ई–खरीद करने हेतु कृषकों का पंजीकरण, मिलो का पंजीकरण का कार्य चूंकि वर्ष पर्यन्त किया जाना है तथा स्टेटपूल, केन्द्रीय पूल में खाद्याान्न का उठान व सम्प्रदान एवं इसकी बिलिंग/भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष में होता रहेगा अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष हेतु अनुमन्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, व धान के मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। स्टेशनरी, पी0ओ0एल0, टेलीफोन, विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार आदि के खर्च भी लेखाशीर्षक ''4408–खाद्य–101–खरीद और पूर्ति–03–अन्नपूर्ति योजना–31–सामग्री तथा सम्पूर्ति'' से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के तहत वहन किया जायेगा ।

26– <u>धान क्रय–केन्द्रो का निरीक्षण</u> :–

26(1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा क्रय संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक धान खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध है तथा किसानों का धान नियमानुसार खरीदा जा रहा है अथवा नहीं।

26(2) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा भी 15 दिन में सभी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी अपने जनपदों/क्षेत्रो में क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह देखेंगे कि धान खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

खाद्यायुक्त स्तर पर एक सचल दस्ता गठित किया जायेगा जिसमें मुख्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक सम्मिलित होगे। सचल दस्ता द्वारा धान क्रय केन्द्रों, चावल मिलों में संग्रहित धान, निर्मित कस्टम मिल्ड चावल तथा स्टेटपूल डिपो पर चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी सूचना खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी ।

27– <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष एवम् खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :–

27(1) जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान कय कार्य की नियमित समीक्षा की जायेगी साथ ही धान कय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

27(2) राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 8–ए बंगाली मोहल्ला, करनपुर, देहरादून उत्तराखण्ड के कार्यालय में खोला जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2017 से कार्यशील होगा। नियमित धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार

सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन फैक्स संख्या–0135–2740778 व ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

28 – क्रय एजेंसियाँ धान खरीद हेतु जारी समय सारणी के अनुसार धान क्रय–केन्द्रों की स्थापना, कार्मिकों की तैनाती, बोरों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगी, ताकि धान का क्रय सुचारू रूप से आरम्भ हो जाये।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या 828 (i)/17–XIX-2/36 खाद्य/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
7– अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
11– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
12– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड ।
13– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
14– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
15– निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति को उत्तराखण्ड सरकार के विभागीय पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुंगरियाल),
उप सचिव।